सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 30, बुधवार, शाके 1944-अप्रेल 20, 2022

Chaitra 30, Wednesday , Saka 1944- April 20, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 06, 2022

एस.ओ.9 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.2(9)वित्त/कर/2021-93 दिनांक 31.12.2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

[सं.एफ.2(9)वित्त/कर/2021-93]

राज्यपाल के आदेश से,

टीना डाबी,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 31, 2021

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लो कहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

1. स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति का निम्नलिखित मामलों में परिहार किया जायेगा, अर्थात्:-
   (i) इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष लंबित ऐसे मामले जिन पर संदेय स्टाम्प शुल्क 01.01.2022 से 31.03.2022 की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया जाता है।
   (ii) 01.01.2022 से 31.03.2022 की कालावधि के दौरान कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष फाइल किए गए ऐसे मामले जिन पर संदेय स्टाम्प शुल्क 01.01.2022 से 31.03.2022 की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया जाता है।
   (iii) इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा न्यायनिर्णित ऐसे मामले जिन पर संदेय स्टाम्प शुल्क 01.01.2022 से 31.03.2022 की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया जाता है।

(iv) इस अधिसूचना की तारीख तक राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित ऐसे मामले जहां पक्षकार ने मामला प्रत्याहत कर लिया है और ऐसे प्रत्याहरण का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है और संदेय स्टाम्प शुल्क 01.01.2022 से 31.03.2022 की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया जाता है।

2. राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 65 के परन्तुक के अधीन पुनर्विलोकन फाइल करने के लिए निक्षिप्त रकम, स्टाम्प शुल्क के संदाय के मद्दे समायोजित की जायेगी।

3. उपर्युक्त मामलों में, पहले ही संदत्त स्टाम्प शुल्क या कोई अन्य रकम प्रतिदत्त नहीं की जायेगी।

[**सं.प.2(9)वित्त/कर/2021-93**]
राज्यपाल के आदेश से,

टीना डाबी,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.